वित्तीय स्वीकृति / आयोजनागत
संख्या : 845 / XVII(1)-01 / 2007-45(स.क.) / 2004

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-01.

देहरादून, 04 सितम्बर, 2007.

विषय : वित्तीय वर्ष 2007-08 में विशेष मात्राकरण एवं क्रियान्वयन अनुश्रवण समिति के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-866 / XXVII(1)-01 / 2006-45(स.क.) / 2004, दिनांक 28 जुलाई, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आया-व्ययक द्वारा समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित विशेष मात्राकरण एवं क्रियान्वयन अनुश्रवण समिति के संचालनार्थ रूपये 35,00,000/- (रूपये पैंतीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निरर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए। उक्त धनराशि का व्यय उन्हीं मदों / योजनाओं में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृत की जा रही है।

2. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका / बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए। अवचनवद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाय तथा वित्त विभाग के शासनादेश स0-599 / XXVII (1) / 07 दि0 12-07-2007 में विहित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

3. उक्त धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय।

4. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

BT

6. स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाए।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 एवं बजट मैनुअल में उल्लिखित प्राविधानों एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–2008 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–30" के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक–"2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–800–अन्य व्यय–12– विशेष मात्राकरण एवं क्रियान्वयन अनुश्रवण समिति–00 की मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता" के नामे डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 392(P)/XXVII(3)/2007, दिनांक 25, सितम्बर 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या :845 (1)/XVII(1)-01/2007–45(स.क.)/2004, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(अजय सिंह नबियाल)
अपर सचिव।